तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/10/19	इन्तिखाब उपस्थित स्थगित है। पी.ओ. ग्राहक — बाहर — पक्षों है ... पत्रावली गई आदेशानुसार दिनांक 7/11/19 को पेश हो। जवाब पेश किया नकल डिग्री शामिल रहे। दस्ता० पेश किये शामिल रहे।	
07/11/19	अधि० उभयपक्ष उप०। अधि० अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज पेश किये शा० रहे। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात संवत् 2072-75 खतौनी सं० 22 में दर्ज आ.ख. नंबर 1257/3071 रकबा 1.26 है० वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ काली डूंगरी तहसील रेडारायसिंह में स्थित है। जिसको प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर फसल लाभांश प्राप्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी से अप्रार्थीगण व अन्य किसी दीगर का कोई लेना देना सरोकार अधिकार किसी किस्म का नहीं है। न ही उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का विधिक स्वामित्व है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में बिना विधिक स्वामित्व के लाठी के जोर पर तादाद में ज्यादा होने के कारण प्रार्थी के कब्जे में बेजा हस्तक्षेप करते है व विशिष्ट हिस्से पर जबरन कब्जा करने की फिराक में रहते है। प्रार्थी कमजोर काश्तकार होने के कारण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। दि० 13.3.2019 को अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर आ गये। धमकी दी कि वे उक्त आराजी विशेष हिस्से पर जबरन कब्जा करेंगे। हक से वंचित करेंगे। जिस पर यह प्रा०पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषे० पाबन्द नहीं किया गया तो उनकी उपरोक्त बेजा हरकतों की वजह से प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से कतई संभव नहीं हो सकेगी दावा व प्रा० पत्र पेश करने का अभिप्राय: ही समाप्त हो जावेगा। अत: प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे आ.ख.नं. 1257/3071 रकबा 1.26 है० वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ काली डूंगरी में बेजा मजाहमत नहीं करें। विशिष्ट हिस्से पर कब्जा कर प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करें। फसल बोने व काटने से मना नहीं करें। प्रार्थी को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। जिस पर अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी	
12		

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि अड़ाकर स्थित है मय अप्रार्थी नं० 5 का मौके पर करीब 50 वर्ष पुराना बाड़ा बना हुआ है। साथ में अन्य ग्राम वासियों गोरधन प्रजापत, कान्हा माली, पूरणकरण प्रजापत, गणेश प्रजापत, हेमराज प्रजापत इत्यादि के बाड़े मौके बने हुए हैं जिसके बाबत प्रार्थी स्वयं ने दस रुपये के स्टाम्प पर एक लिखावट मिति जेष्ठ सुदी 15 रविवार सम्वत् 2059 तदनुसार दि० 9/6/2002 को अप्रार्थीगण के हक में लिखकर गवाहों के समक्ष अपने व उसके पुत्र महावीर के हस्ताक्षर कर तहरीर कराकर किया था। बिना कब्जे के प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की इजाजत से ही अप्रार्थीगण कब्जे में आये थे प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर पेश किया है। विवादित आराजी के जिस भू भाग पर अप्रार्थीगण के कब्जा का है उसके संबंध में प्रार्थी ने माना है कि पूर्व में प्रार्थी की खातेदारी की शेष आराजी, पश्चिम में रास्ता श्मशान भूमि पर जाने वाला व उत्तर में हकीम का खेत व दक्षिण में गोरधन प्रजापत (कुम्हार) का प्रार्थी से खरीद शुदा बाड़ा स्थित है। उक्त सीमाओं के मध्य अप्रार्थी नं० 5 का बाड़ा स्थित है मौके पर अप्रार्थी लगभग 50 वर्षों से शांति पूर्वक काबिज चला आ रहा है। जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहता है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल जमाबंदी खाता सं० 22 सम्वत् 2072-75 वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ काली डूंगरी पेश की तथा अप्रार्थीगण ने जवाब की ताईद में फोटो प्रति नकल जमाबंदी खाता सं० 22, संवत 2072-75 वाके रघुनाथपुरा उर्फ काली डूंगरी, खसरा गिरदावरी संवत् 2072-75, लिखावट स्टाम्प दि० 9.6.2002, व लिखावट स्टाम्प दि० 8/7/2003 पेश किये। बहस अधि० उभयपक्ष सुनी गई। जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी खतौनी सं० 22 जमाबंदी सम्वत् 2072-75 वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ कालीडूंगरी तहसील रेडारायसिंह के प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई लेना देना किसी किस्म का नहीं होना जाहिर है। जहां तक तथाकथित लिखावट स्टाम्प का प्रश्न है, यह अपंजीकृत दस्तावेज है। जिसका कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का पूर्ण रूप से हकदार है। प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी के बाबत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा	12

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	जारी नहीं करने की सूरत में अप्रार्थीगण की बेजा हरकतों की वजह से प्रार्थी को अकथनीय क्षति से भी नहीं नकारा जा सकता है। वाद ग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी का होना तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल होना बखूबी साबित है।
	अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध ~~[illegible]~~ तामील वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वे प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आ. ख. नं. 1257/3071 रकबा 1.26 हे० वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ काली डूंगरी तहसील टोडारायसिंह के स्वयं अथवा किसी नौकर चाकर एजेन्ट प्रतिनिधि वगै० के प्रार्थी के कब्जे में बेजा मजाहमत नहीं करें विशिष्ट हिस्से पर कब्जा कर प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करें। फसल बोने व काटने से मना नहीं करें। प्रार्थी को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 07/11/2019 को विवृत न्यायालय सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर)
	उपखण्ड अधिकारी ([illegible])
	उपखण्ड अधिकारी
	टोडारायसिंह